International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 14 Issue 1, January-February, 2026

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: आर्थिक, दर्शन और राज्य समाजवाद

प्रदीप कुमार

रिसर्च स्कोलर, इतिहास, बरकतुल्लाह, विश्वविधालय, भोपाल

परिचय : -

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर निर्विवाद रूप से अब तक के सबसे महान अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनके आर्थिक विचारों को न पढ़ा गया, न अपनाया गया और न ही प्रचारित किया गया। आज निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण के युग में 'राजकीय समाजवाद' के जनक माने जाने वाले डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के आर्थिक विचारों को समझना आवश्यक हो गया है। उनका विचार था कि राज्य को राष्ट्र के सभी संसाधनों, जैसे भूमि, कृषि और उद्योगों को संवैधानिक तरीकों से नियंत्रित करना चाहिए और नागरिकों के समग्र विकास की दिशा में काम करना चाहिए। उनका दृढ़ विश्वास था कि राज्य आम आदमी के जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, यदि उपरोक्त सभी संसाधन उसके हाथ में हैं। यह पत्र राजकीय समाजवाद और संवैधानिक प्रावधानों पर उनके विचारों को समझने के साथ जुड़ा होगा, जो लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के बारे में डॉ. अम्बेडकर के विचार को दर्शाता है।

150 से अधिक वर्षों के संघर्ष और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अनगिनत बलिदानों के बाद, भारत ने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की और एक संप्रभु राज्य का दर्जा प्राप्त किया। हमने 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाया था, जो बाद में 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान निर्विवाद रूप से दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और इसे सभी देशों द्वारा स्वीकार किया गया है। दुनिया के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र उन लोगों को दिया गया जो हजारों साल से जाति, वर्ग, धर्म, नस्ल और लिंग के नाम पर गुलाम थे - उन्हें इंसान भी नहीं माना गया और न ही उनके साथ व्यवहार किया गया। युगों से तथाकथित ऊंची जातियों के बराबर। अधिकांश लोग अनपढ़ थे। भारत में हजारों जातियों, कई धर्मों, परंपराओं और भाषाई मतभेदों के बावजूद, डॉ बी आर अम्बेडकर ने भारत को सरकार का संसदीय रूप देने का साहस किया। 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना न केवल भारत के राजनीतिक इतिहास में बल्कि सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण घटना थी।

बहस :

अर्थशास्त्र पर डॉ. अम्बेडकर के व्यापक साहित्य का अध्ययन करना और उसकी भावना को समझना उत्तरोत्तर कठिन कार्य है। लेकिन अधिक कठिन कार्य उनके अर्थशास्त्र के सट्टा सिद्धांतों को सटीक रूप से समझना है। लोगों की पक्षपातपूर्ण और जाति आधारित मानसिकता के कारण डॉ. अम्बेडकर की छवि पर हमेशा किसी का ध्यान नहीं गया! उनमें से हमारे पास तथाकथित अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवी हैं जो दिन-ब-दिन डॉ. अम्बेडकर पर लिखते हैं, लेकिन अम्बेडकर के आर्थिक विचारों की भावना को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करते हैं।

21वीं सदी की भोर में, आम आदमी अपने परिवार को दिन में दो वक्त की रोटी खिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। धनी, शिक्षित और राजनीतिक नेता पैसा कमाने और सत्ता हासिल करने में लगे हुए हैं। इस देश का नौकरीपेशा वर्ग भी गरीबों की समस्याओं को संभाल रहा है/गलत तरीके से संभाल रहा है और राष्ट्र निर्माण के प्रति कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करता है। इस परिवेश में डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक चिंतन ही एकमात्र विकल्प प्रतीत होता है जो इस महान राष्ट्र का मार्गदर्शन कर सकता है और संभावित सामाजिक और आर्थिक तबाही से बचा सकता है! डॉ. अंबेडकर के आर्थिक विचारों में राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी भावना है और वे समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से देश के आम लोगों में ही नहीं, बल्कि तथाकथित शिक्षित वर्ग में भी डॉ. अम्बेडकर की आर्थिक दृष्टि को देखने की मंशा और मानसिकता नहीं है।

उनके विचार जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक लिस्ट जैसे नहीं हैं जिन्होंने खुले बाजार पर हमला किया और संरक्षणवाद की नीति की वकालत की[1]। जॉर्ज लिस्ट ने जर्मन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अंत में आर्थिक तंगी और भुखमरी के कारण उसने आत्महत्या कर ली। दूसरी ओर डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक विचार प्रबल राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अपने जीवनकाल के दौरान, आजादी से पहले और बाद में, उन्हें श्रम मंत्री, मसौदा समिति के अध्यक्ष, कानून मंत्री आदि के रूप में सबसे महत्वपूर्ण विभागों को सौंपा गया था। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार किया, पृथक निर्वाचक मंडल की आवश्यकता की वकालत की और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों, वर्गों और जातियों के उत्थान के लिए सर्वोत्तम आरक्षण नीतियों को लागू किया। उन्होंने पारंपरिक असमानता को खत्म कर दिया और समान मानवाधिकारों और सम्मान के लिए युद्ध का नेतृत्व किया। यह सब उन्होंने अपने जीवनकाल में बिना किसी हिंसा और बिना किसी हथियार के किया! उन्होंने कभी भी आंदोलन के किसी हिंसक तरीके का नेतृत्व नहीं किया बल्कि अपनी प्रखर बुद्धि से सरकारों को राजी कर लिया!

आजादी के 75 साल पीछे मुड़कर देखें तो यह साफ है कि अगर उनके विचारों पर अमल नहीं होता तो भारत जैसा जातिवादी/धार्मिक कट्टरपंथी देश अब तक किसी भी ताकतवर देश के आगे घुटने टेक चुका होता. हमारे पड़ोसी देश इसका जीता जागता उदाहरण हैं, जहां बहुत से आंतरिक संघर्ष हैं। राष्ट्र को इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि लाखों जातियां, विभिन्न धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं और रीति-रिवाज होते हुए भी अगर भारत बिना किसी आंतरिक संघर्ष के एकजुट है, तो वह संसदीय लोकतंत्र और भारत के संविधान के कारण ही है!

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की जीडीपी दिन-ब-दिन बढ़ रही है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत आज तीन ट्रिलियन डॉलर का देश है। हालाँकि, भारतीय आम आदमी कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के कारण निराश और निराश है। आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ, जमींदारों और बैंकों के हाथों लगातार शोषण के कारण किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि अगर हम चंद लोगों के हाथों में अर्थव्यवस्था के केंद्रीकरण को नहीं रोकते हैं तो गरीब आम लोगों के पास परिवार सहित आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा!

सामाजिक विषमता और धार्मिक कट्टरवाद की मानसिकता से जकड़े हुए लोगों ने कभी भी राष्ट्र निर्माण के महत्व को महसूस नहीं किया और यह एक गंभीर बीमारी है जिससे यह देश संक्रमित हो गया है। आज़ादी के बाद भारत को राष्ट्रवाद और देशभक्ति के आवरण मिले और भारत की भोली-भाली जनता इस देश के बड़े तबकों के अधिकारों का हमेशा बहिष्कार करने वाले तथाकथित शासकों के छिपे हुए एजेंडे को कभी समझ ही नहीं पाई! इसलिए, डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक, आर्थिक और मानवीय विचारों का अध्ययन करने, समझने और उन्हें लागू करने का सही समय है।

डॉ. अम्बेडकर ने औद्योगीकरण की पुरजोर वकालत की। उनके अनुसार, लोकतंत्र का अर्थ अधिक उपकरण, अधिक औद्योगीकरण और उच्च आर्थिक लाभ है। उन्होंने ग्राम व्यवस्था पर जमकर प्रहार किया और चाहते थे कि लोग गांव छोड़कर शहरों में बस जाएं। वह गाँव की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, यही कारण है कि उन्होंने श्री गांधी के विपरीत गाँवों को छोड़कर शहरों में बसने का आह्वान किया, जिन्होंने 'चलो गाँव की और' का नारा दिया था। गाँव) [2]। श्री गांधी का दृढ़ विश्वास था कि आत्मनिर्भर गाँव एक न्यायसंगत, न्यायसंगत और अहिंसक व्यवस्था के लिए एक ठोस आधार बनाते हैं और उनका मानना था कि यह भारत में सभी नागरिकों, रचनात्मक कार्यकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, गांधीजी ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर गाँवों पर अपने विचार विकसित किए। उन्हें विश्वास था कि "यदि गाँव नष्ट हो जाते हैं, तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। यह अब भारत नहीं रहेगा।" उनके लिए, राष्ट्र का पुनर्निर्माण गाँवों के पुनर्निर्माण से ही हो सकता था।

लेकिन डॉ अंबेडकर श्री गांधी की इस दृष्टि के खिलाफ थे। उनके लिए गाँव और उनका निम्न जीवन स्तर इस महान राष्ट्र की लाचारी और शर्मनाक तस्वीर ही दिखाता था। गाँव जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानताओं के प्रबल रक्षक थे। इसलिए, वह सभी को शिक्षा प्रदान करना और समानता को बढ़ावा देना चाहते थे।

जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो डॉ. अम्बेडकर को यकीन था कि उन्हें इस प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यही कारण है कि उन्होंने वर्ष 1946 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की ओर से संविधान सभा को 'राज्य और अल्पसंख्यक' शीर्षक से एक ज्ञापन सौंपा[3]। उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनके अधिकारों की रक्षा में राज्य के कर्तव्यों के बारे में बात करने वाले एक ज्ञापन को प्रस्तावित करने की अनिवार्यता महसूस की। ज्ञापन डॉ बी आर अम्बेडकर की 'राज्य समाजवाद' की अवधारणा की एक उच्च संरचित तस्वीर देता है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य के कर्तव्यों की पुरजोर वकालत की, जो भारत के संविधान के भाग III में निहित हैं। उन्होंने न केवल नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए बल्कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में भाग IV (अनुच्छेद 36-51) के तहत राज्य को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि राज्य निर्देशों को लागू करता है, तो सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास दृष्टि से दूर नहीं होगा।

डॉ. अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से कई प्रावधानों को प्रतिष्ठापित किया। यह लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है [4]। संविधान में शामिल अनुच्छेद 15(4), 16(4), 17, 19(1) (डी) और (ई), 29(2), 275, 330 और 335 सामाजिक और आर्थिक न्याय पर उनके विचारों के स्पष्ट प्रतिबिंब हैं। . ये अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों को सुरक्षित करने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देते हैं। इसके अलावा, अनुच्छेद 29 और 30 भारत के सभी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधानों के बारे में बात करते हैं, जो उन्हें अपने शैक्षिक और धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार देते हैं और उनकी लिपि और साहित्य को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का भी अधिकार देते हैं। भारत के संविधान में बी आर अम्बेडकर की दृष्टि शामिल है, जो विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक न्याय, गैर-भेदभाव, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के प्रति समर्पित है।

डॉ. अम्बेडकर प्रशिक्षण से एक अर्थशास्त्री थे और 1921 तक उनका करियर एक पेशेवर अर्थशास्त्री का था। इसके बाद ही वे एक राजनीतिक नेता बने[5]। उन्होंने अर्थशास्त्र पर तीन विद्वतापूर्ण पुस्तकें लिखीं- 'एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनैंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी', 'द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया' और 'द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी: इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन'। उनके आर्थिक लेखन में सबसे

महत्वपूर्ण पुस्तक 'स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज' है। यह पुस्तक उनकी उत्कृष्ट कृतियों में से एक है, जिसमें उन्होंने सभी प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की वकालत की है। उनका विचार था कि निजी उद्योग धन के असमान वितरण का एक कारण थे। यदि प्रमुख उद्योग निजी संगठनों को दे दिये जायें तो धन और श्रम का पूर्ण शोषण होगा। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से श्रमिकों को सुरक्षा मिलेगी और धन के समान वितरण में मदद मिलेगी। उन्होंने बीमा के राष्ट्रीयकरण की भी वकालत की, जिससे लोगों को अधिक सुरक्षा मिलेगी।

आगे विस्तृत करने के लिए, 'राज्यों और अल्पसंख्यकों' के अनुच्छेद II के खंड 4 की सिफारिश है: [6]

i) कृषि राज्य का उद्योग होगा,
ii) प्रमुख और बुनियादी उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य द्वारा किया जाएगा,
iii) बीमा पॉलिसी प्रत्येक नागरिक और राज्य के एकाधिकार के लिए अनिवार्य होगी,
iv) राज्य निजी व्यक्तियों द्वारा धारित ऐसे उद्योगों, बीमा और कृषि भूमि में विद्यमान अधिकारों का अधिग्रहण करेगा,
iv) राज्य अधिग्रहीत भूमि को मानक आकार के खेतों में विभाजित करेगा,
v) खेत की खेती सामूहिक फार्म के रूप में की जाएगी,
vi) खेतों की खेती सरकार द्वारा जारी नियमों और निर्देशों के अनुसार की जाएगी,
vii) काश्तकार फार्म पर उचित रूप से लगाये जाने वाले प्रभारों के भुगतान के बाद बची हुई उपज को निर्धारित तरीके से आपस में बांट लेंगे।
ix) जाति या पंथ के भेद के बिना भूमि ग्रामीणों को दी जाएगी,
x) कोई जमींदार नहीं होगा, कोई किरायेदार नहीं होगा और कोई भूमिहीन मजदूर नहीं होगा,
xi) सामूहिक फार्मों में पानी, भारवाही पशु, औजार, खाद, बीज आदि का वितरण किया जाएगा।
xii) राज्य खेतों की उपज पर निम्नलिखित शुल्क लगाने का हकदार होगा:
क) भूमि राजस्व के लिए एक हिस्सा,
ख) डिबेंचर-धारकों को भुगतान करने के लिए एक हिस्सा,
ग) आपूर्ति किए गए पूंजीगत माल के उपयोग के लिए भुगतान किया जाने वाला भाग।

यह स्पष्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) उन विचारों पर आधारित था जो डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। दुनिया ने हमेशा कार्ल मार्क्स को समाजवाद के जनक के रूप में देखा है - उन्होंने कभी भी डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के आर्थिक और सामाजिक विचारों का अध्ययन करने की कोशिश नहीं की, जो कार्ल मार्क्स से आगे निकल गए और 'राज्य समाजवाद' [7] प्रतिपादित किया। मार्क्स का दर्शन वर्ग-संघर्ष पर आधारित है, जिसमें वे राज्य द्वारा शोषण की बात करते हैं। इस शोषण को रोकने के लिए, कार्ल मार्क्स ने प्रमुखों को उखाड़ फेंकने और सत्ता पर कब्जा करने के लिए हिंसक तरीके अपनाने का प्रस्ताव रखा। दूसरी ओर, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का राज्य समाजवाद उनके लोकतांत्रिक विचारों के ज्ञान में निहित है। उनके लिए लोकतंत्र "सरकार का एक रूप और तरीका है जिसके द्वारा लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बिना रक्तपात के क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जाते हैं"। उन्होंने कहा कि राज्य सभी असमानताओं को दूर करने में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। उनके लोकतांत्रिक विचारों का उद्देश्य समाज से चरम आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक असमानताओं और बुराइयों को खत्म करना था। नतीजतन, राज्य समाजवाद की उनकी अवधारणा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित थी। प्रत्येक नागरिक को अपना और अपने परिवार का आर्थिक विकास करने का अधिकार है और वह चाहता था कि राज्य संसाधनों का समान रूप से वितरण करे।

डॉ अम्बेडकर के विचारों का वर्तमान भारतीय मुद्रा प्रणाली पर बहुत प्रभाव पड़ा। 1923 [8] में प्रकाशित उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी: इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन' में इस दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। इसके प्रकाशन से पहले, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उन्हें डी.एससी. 1921 में अर्थशास्त्र में डिग्री। पुस्तक का दूसरा संस्करण 1947 में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक साबित करती है कि वह आर्थिक नीति और मुद्रा समस्याओं के विशेषज्ञ थे। उन्होंने 1800 से 1920 तक भारतीय मुद्रा की समस्या का बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण किया और भारत के लिए एक मुद्रा प्रणाली का सुझाव दिया। ऐसा करने में, वह जॉन मेनार्ड केन्स के विचारों से काफी अलग थे।

डॉ. अम्बेडकर ने स्वर्ण-मानक की वकालत की, जबकि कीन्स ने वर्ष 1909 में प्रकाशित अपने ग्रंथ 'भारतीय मुद्रा और वित्त' में स्वर्ण-विनिमय-मानक निर्धारित किया। डॉ. अम्बेडकर ने स्वर्ण-मानक के पक्ष में तर्क दिया क्योंकि इस प्रणाली में, आपूर्ति मुद्रा का बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता था, और इस तरह, इसने कीमतों की बेहतर स्थिरता सुनिश्चित की ताकि गरीब वर्गों को कुछ राहत मिल सके। हालाँकि डॉ. अम्बेडकर के सुझाव को शाही सरकार ने नहीं माना, लेकिन गरीबों के हितों की रक्षा करने की उनकी मंशा स्पष्ट थी।

डॉ अम्बेडकर और विश्व दार्शनिकों के बीच क्या अंतर है? जिन परिस्थितियों ने डॉ. अम्बेडकर को सार्वभौम चिंतकों में सबसे महान बनाया, वह अध्ययन का विषय है। यदि हम विश्व के दार्शनिकों और उनके व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन करें, तो हम समझेंगे कि लगभग सभी विचारक और दार्शनिक उच्चतम सामाजिक समूहों के थे। अरस्तू निकोमाचस का पुत्र था, जो मैसेडोन के राजा अमिंटास के निजी चिकित्सक थे। उन्होंने अपना समय मैसेडोनियन महल के भीतर बिताया। उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए प्लेटो अकादमी भेजा। अरस्तू ने अकादमी में लगभग अठारह साल बिताए, भौतिकी, जीव विज्ञान, प्राणीशास्त्र, तत्वमीमांसा, तर्कशास्त्र, नैतिकता, कविता, रंगमंच, संगीत, राजनीति और सरकार का अध्ययन किया। बाद में उन्होंने अपने शिक्षक/मार्गदर्शक बनकर सिकंदर महान को प्रभावित किया।

यदि हम आधुनिक विचारकों की ओर नज़र डालें, तो हम देखते हैं कि महान अर्थशास्त्रियों में से एक, कार्ल मार्क्स (5 मई 1818 - 14 मार्च 1883) का जन्म प्रशिया राइनलैंड के ट्रायर में एक धनी मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। मार्क्स ने बॉन और बर्लिन के विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया और कई किताबें लिखीं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण 'दास कैपिटल' और 'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' थीं। वर्ग संघर्ष पर आधारित उनके आर्थिक शोषण के सिद्धांत ने दुनिया को प्रभावित किया और इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि कैसे उनकी मृत्यु के लगभग 30 साल बाद रूसी क्रांति हुई! कार्ल मार्क्स के अलावा, कई अन्य यूरोपीय विचारक हैं जैसे जॉन लॉक (29 अगस्त 1632 - 28 अक्टूबर 1704), थॉमस हॉब्स (5 अप्रैल 1588 - 4 दिसंबर 1679), जीन जैक्स रूसो (28 जून 1712 - 2 जुलाई 1778), मैक्स मुलर (6 दिसंबर 1823 - 28 अक्टूबर 1900) और अल्फ्रेड मार्शल (6 जुलाई 1842 - 13 जुलाई 1924)। लोगों ने उनके विचारों और दर्शन को उनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद स्वीकार किया है। प्राय: सभी पाश्चात्य विचारकों ने अपनी सीमाओं के भीतर और प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार अपने सिद्धांतों का प्रचार किया।

लेकिन डॉ. अम्बेडकर, हालांकि एक अछूत के रूप में पैदा हुए थे, जिन्हें कभी भी कक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं थी, एक महान व्यक्तित्व के रूप में उभरे। वह क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करता था। वह जहां भी गए उनके साथ असमान व्यवहार किया गया। एक छात्र के रूप में, और जीवन के हर क्षेत्र में, उन्होंने जानवरों से भी बदतर अपमान सहा ! और फिर भी, सभी बाधाओं के बावजूद, उन्होंने शिक्षा की उच्चतम डिग्री अर्जित की जो उस समय देश में किसी और ने हासिल नहीं की थी ! इतना ही नहीं, उन्होंने इस देश को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक नई दिशा दी और करोड़ों लोगों को एक नया भविष्य दिया। उन्होंने उन

समुदायों को जीवन दिया जो हजारों साल से गुलामी में जी रहे थे, उच्च जातियों के हाथों पीड़ित थे और मानसिक और शारीरिक गुलामी के तहत जीवन और भविष्य की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने लाखों लोगों को मुक्ति दिलाई, और वह भी "बिना एक बूंद खून बहाए!" यही कारण है कि डॉ अम्बेडकर दुनिया के सभी दार्शनिकों और विचारकों में सबसे महान साबित होते हैं। भविष्य देखने की उनकी बुद्धि बेजोड़ है! शायद यही कारण है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें 'ज्ञान के प्रतीक' के रूप में सम्मानित किया- सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात !

निष्कर्ष :

अब समय आ गया है कि हम डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों को समझें और सभी को बताएं कि वे लोगों और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए कैसे फायदेमंद हैं। किसी भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएँ भोजन, आवास और वस्त्र हैं। भारत का संविधान आम लोगों को बुनियादी जरूरतें प्रदान करने और उन्हें विकसित करने में मदद करने के लिए पर्याप्त दिशा-निर्देश प्रदान करता है। राज्य का कर्तव्य सभी के बीच संसाधनों को समान रूप से वितरित करना और यह देखना है कि उनके साथ कोई अन्याय न हो। यदि भारत एक महाशक्ति और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, तो उसे संवैधानिक प्रावधानों को लागू करना होगा। तभी यह देश विकसित होगा, तभी यह राष्ट्र ऊंचा उठेगा और तभी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत बचेंगे!